

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(प्रथम)/2023/डी-

940

दिनांक:-

3/10/2023

- आम सूचना -

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स.	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती प्रेमलता खर्वा पत्नी श्री अजीत कुमार	श्रीमती प्रेमलता खर्वा पत्नी श्री अजीत कुमार	31	166.66	मित्र	राधा विहार	फी-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र के आधार पर।
2	श्रीमती कमलेश पत्नी श्री अखिलेश महिया	सुश्री कमलेश पुत्री श्री पूना राम	39	100.00	मित्र	राधा विहार	फी-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।

-sd-  
उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-1  
जविप्रा,जयपुर।

प्रतिलिपि :- जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है की राज्य सरकार के आदेशो के क्रम मे विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-1  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।  
क्रमांक:-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(द्वितीय)/2023/डी-

--सार्वजनिक सूचना--

दिनांक-

4/10/23

निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पृथ्वीराज नगर (उत्तर-द्वितीय), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। जो लीजडीड/प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये हैं:-

क. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्री भगवान सहाय मीणा/महादेव मीणा (सूरजपोल गेट गृह. विकास सहकारी समिति लि० की योजना-महादेव एन्कलेव)	12	163

यदि उक्त भूखण्डों के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों की लीजडीड/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

उपायुक्त  
उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-1  
जयपुर विजविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस पश्चात् मूल प्रति कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।
- उक्त पत्रावलीयों में नगरीय विकास के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 14.03.2022 में विज्ञप्ति कार्यालय द्वारा प्रकाशन की कार्यवाही करवाया जाना प्रस्तावित है। सूचनार्थ

उपायुक्त  
उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-1  
जयपुर विजविप्रा, जयपुर।

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(द्वितीय)/2023/डी-

-सार्वजनिक सूचना:-

987

दिनांक:- 30/9/23

निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पृथ्वीराज नगर (उत्तर-द्वितीय), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। जो लीजडीड/प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये हैं:-


क. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	मिथलेश त्यागी/पी.वी. शर्मा (मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना-विकास नगर-सी)	40 वेस्ट पार्ट	166.66
2	मिथलेश त्यागी/पी.वी. शर्मा (मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना-विकास नगर-सी)	40ईस्ट पार्ट	166.66
3	सीता देवी/माणक चन्द, मनीषा/नरेश, चित्र लेखा/पवन कुमार (सिन्धु नगर को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. की योजना-मोती विहार )	3, 4, व 5	933

यदि उक्त भूखण्डों के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों की लीजडीड/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

प्रतिलिपि:


- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस पश्चात् मूल प्रति कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।
- उक्त पत्रावलीयों में नगरीय विकास के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 14.03.2022 में विज्ञप्ति कार्यालय द्वारा प्रकाशन की कार्यवाही करवाया जाना प्रस्तावित है। सूचनार्थ

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-II  
जविप्रा, जयपुर।




# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in



—:सूचना:—

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृनि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा,जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री किस्तुर चन्द रैगर	श्री हनुमान	11	133.33	दी राजहंस गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	उत्तम नगर	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान, अपजीकृत इकरारनामा आदि।
2	श्री बंशीधर भोजगी	स्वयं	94	200.00	हसनपुरा-ए गृह निर्माण सहकारी समिति	शिव वाटिका-सी	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान, आदि।
3	श्री रजनीश कुमार भोजगी	स्वयं	96	200.00	हसनपुरा-ए गृह निर्माण सहकारी समिति	शिव वाटिका-सी	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान, आदि।



उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)  
जविप्रा, जयपुर।

जनसम्पर्क अधिकारी,  
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक:- जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)/2023/डी- 2017

दिनांक:- 29.9.2023



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

75  
Azadi Ka  
Amrit Mahotsav

## -:सूचना:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	प्रवीण	स्वयं	44	845.83	बास बदनपुरा गृ. नि.स.लि.	स्कीपर्स वैली	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
2	आयुष चौपडा	रिषिता	36	253.33	कीर्ति नगर कॉ. हा.सो.लि.	श्री कल्याण विहार	लीजडीड	अपंजीकृत इकरारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
3	विजय सिंह	भूपेन्द्र	04	122.22	रामनगर गृ.नि.स. लि.	मोती नगर-ए	लीजडीड	मुख्यारआम, खोया-पाया, एफ.आई.आर. आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान की प्रति इत्यादि।
4	विमला देवी	हरीशंकर जाट	A 33 A	125.00	हसनपुरा-ए गृ. नि.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	पंजीकृत विक्रय पत्र, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
5	किस्तुर चन्द पारीक	हनुमान	11	133.33	दी राजहंस गृ. नि.स.लि.	उत्तम नगर	लीजडीड	अपंजीकृत इकरारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।

उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)  
जविप्रा, जयपुर।

जनसम्पर्क अधिकारी,

जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक / ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन-पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय) / 2023 / डी-2025

दिनांक 3.10.2023

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष- (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}; फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

N.P.-V.N.



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजडीडधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल व.ग.	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके के लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती सुनीता पुत्री श्री महेन्द्र सिंह	श्री सीताराम शर्मा पुत्र श्री भौरीलाल शर्मा	145	138.88	निजी खातेदारी	नारायण विहार-डी	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान व विक्रय पत्र

उपायुक्त

पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),  
जविप्रा, जयपुरा

जन संपर्क अधिकारी  
जविप्रा, जयपुरा

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम)/2023/डी-2024 दिनांक 30/08/23

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

E:\arvind\WIGYAPTI\JOINT.docx



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवटी/ लीजडीडधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल व.ग.	ग.नि.स.स./निजी खातेदारी योज ना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके के लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री ओम प्रकाश यादव पुत्र श्री तेजारास यादव	श्री तेजारास यादव पुत्र श्री नारायण जी	पुराना 35 नया 423	360.00	गुलाब बाडी भवन निर्माण सहकारी समिति लि.	वर्धमान नगर-बी	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद रजि. हकत्याग एवं मृत्यु प्रमाण पत्र
2.	श्री प्रभुलाल यादव पुत्र स्व० श्री नारायण	श्रीमती आनन्दी देवी पत्नी श्री नारायण जी	पुराना 33 नया 421	353.66	गुलाब बाडी भवन निर्माण सहकारी समिति लि.	वर्धमान नगर-बी	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद रजि. हकत्याग एवं मृत्यु प्रमाण पत्र
3.	श्री नन्दारास यादव पुत्र स्व. श्री नारायण	श्रीमती आनन्दी देवी पत्नी श्री नारायण जी	पुराना 33 नया 421ए	353.66	गुलाब बाडी भवन निर्माण सहकारी समिति लि.	वर्धमान नगर-बी	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद रजि. हकत्याग एवं मृत्यु प्रमाण पत्र
4.	श्री शंकर लाल शर्मा पुत्र श्री बदी नारायण शर्मा	श्री घासी राम पुत्र श्री छोटाराम	46	246.65	राम नगर ग.नि.स.स लि.	श्री रामचन्द्र विहार-ए	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद अपंजीकृत इकरारनामा

उपायुक्त

पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),  
जविप्रा, जयपुर।

जन संपर्क अधिकारी

जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /2023/डी-2028 दिनांक 30/11/23

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

E:\arvind\VIGYANTI\JOINT.docx



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in



आजादी का  
अमृत महोत्सव

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-13/2023/डी- 2798

दिनांक:- 4/8/23

## सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा/नामहस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.) में	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम	नामहस्तांतरण/लीजडीड / फ्री होल्ड लीजडीड/अन्य
1	ए-93	120.00 वर्गमीटर	श्री पुलकित अग्रवाल पुत्र श्री मनोज कुमार अग्रवाल	जविप्रा	पीताम्बरा आवासीय योजना	मृत्यु प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर नामहस्तांतरण/लीजडीड जारी करने बाबत।
2.	ई-587	180.00 वर्गमीटर	श्रीमती अंशु खण्डेलवाल पत्नी स्व. श्री प्रदीप कुमार खण्डेलवाल	जविप्रा	कल्पना नगर आवासीय योजना	मृत्यु प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र के आधार पर नामहस्तांतरण/लीजडीड जारी करने बाबत।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना का प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त, जोन-13  
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञापित का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त, जोन-13  
जविप्रा, जयपुर



# कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-13

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102925/11-2796

दिनांक: 04/10/2023

### लोक सूचना

श्री KALU DAN CHARAN पुत्र श्री RAMABAKS DAN CHARAN जाति RAJPUT निवासी SHRI KARNI VATIKA NIMADI ROAD MORIJA JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का फार्म हाउस प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	निर्मित क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	मोरीजा, चौमू (जयपुर)	KALU DAN CHARAN	1415	2700	0.05
2.	मोरीजा, चौमू (जयपुर)	KALU DAN CHARAN	1416	1100	0
3.	मोरीजा, चौमू (जयपुर)	KALU DAN CHARAN	1436	7800	0
4.	मोरीजा, चौमू (जयपुर)	KALU DAN CHARAN	1437	800	0
<b>कुल</b>					<b>0.05</b>

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 04-10-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-13  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102891

दिनांक: 05/10/2023

संशोधित लोक सूचना

श्रीमती उर्मिला शर्मा पत्नी डॉ. केदार मल शर्मा निवासी- 80/82, मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर।


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	मानपुर टीलावाला, सांगानेर (जयपुर)	श्रीमती उर्मिला शर्मा पत्नी डॉ. केदार मल शर्मा निवासी- 80/82, मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर।	199	12800	1.28
			200	1000	0.10
				कुल	1.38

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **05-10-2023** को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-2461

दिनांक 03-10-23

## सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 160 फीट चौड़ी जोनल प्लान सड़क में आ रही भूमि राजस्व ग्राम श्रीरामपुरा तह. सांगानेर के ख.नं. 781 रकबा 0.08 हैक्ट., ख.नं. 782 रकबा 0.36 हैक्ट., ख.नं. 783 रकबा 0.33 हैक्ट., ख.नं. 784 रकबा 0.39 हैक्ट., ख.नं. 785 रकबा 0.41 हैक्ट. कुल किता 05 कुल रकबा 1.57 हैक्ट. भूमि के खातेदार जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र काना, प्रहलाद पुत्र गोरीलाल, मूलचन्द पुत्र गुल्ला, रामकिशोर पुत्र गुल्ला, रामप्रसाद पुत्र गोरीलाल, लक्ष्मीनारायण पुत्र गुल्ला, लालचन्द पुत्र गुल्ला द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-14 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त  
उपायुक्त जोन-14करण, जयपुर  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:

dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-2460

दिनांक 03-10-23

## सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 100 फीट चौड़ी जोनल प्लान सड़क में आ रही भूमि राजस्व ग्राम वाटिका तह. सांगानेर के ख.नं. 2320 रकबा 0.9300 हैक्ट. में से 5750.00 वर्गमीटर भूमि के खातेदार ओमप्रकाश, गोपाल, भंवरलाल, रामफुल पुत्रान श्री रामू, एवं गुल्लाराम, श्योजीराम पुत्रान श्री गंगाराम द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-14 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त-जोन-14,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:

dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## यू.ओ. नोट

**विषय:-** लोक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम रामपुरा वास गोनेर, तहसील चाकसू के संलग्न खसरानुसार विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न - 1

  
उपायुक्त  
जयपुर-14 जविप्रा, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक: एफ/ज.वि.प्रा./जोन-14/2023/डी-2435

दिनांक:- 30/9/2023

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102954

दिनांक: 30/09/2023

लोक सूचना

श्री SANDEEP SHARMA AS DEG. PARTNER M/S. UDAI GAJRAJ REAL ESTATE LLP पुत्र श्री TOTA RAM SHARMA जाति BRAHMAN निवासी 74B, PHOOL KUNJ, GAURAV NAGAR, CIVIL LINES, JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	M/S. UDAI GAJRAJ REAL ESTATE LLP	136	400	0.04
2.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	M/S. UDAI GAJRAJ REAL ESTATE LLP	138	9300	0.93
3.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	M/S. UDAI GAJRAJ REAL ESTATE LLP	137	4000	0.4
4.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	M/S. UDAI GAJRAJ REAL ESTATE LLP	139	5400	0.54
5.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	M/S. UDAI GAJRAJ REAL ESTATE LLP	140	7000	0.7
6.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	M/S. UDAI GAJRAJ REAL ESTATE LLP	142	3700	0.37
7.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	M/S. UDAI GAJRAJ REAL ESTATE LLP	143	3500	0.35
8.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	M/S. UDAI GAJRAJ REAL ESTATE LLP	144	3000	0.3
9.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	M/S. UDAI GAJRAJ REAL ESTATE LLP	145	3400	0.34
10.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	M/S. UDAI GAJRAJ REAL ESTATE LLP	166	4100	0.41
11.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	M/S. UDAI GAJRAJ REAL ESTATE LLP	167	6200	0.62

विषय :- विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि खातेदार श्रीमती मंजू काबरा पत्नी श्री सुभाष चंद काबरा द्वारा ग्राम मोहनपुरा तहसील सांगानेर, जयपुर के खसरा नम्बर 399/2 रकबा 0.1 हैक्टेयर भूमि का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90क अंतर्गत कृषि से अकृषि (आवासीय) प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन क्रमांक LU2012/JDA/2023-24/102868 के द्वारा आवेदन किया गया है।

अतः नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 की पालना में संलग्न लोक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में करवाते हुए समाचार पत्र की प्रति जोन कार्यालय को उपलब्ध करावें।

संलग्न :- लोक सूचना की प्रति।

उपायुक्त जोन-08  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर

सहायक निदेशक (जन सम्पर्क)  
जविप्रा, जयपुर

यू0ओ0नोट क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-08/2023/डी-3102  
दिनांक 29/9/23

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-08  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102868

दिनांक: 29/09/2023

लोक सूचना

श्रीमति **MANJU KABRA** पत्नी श्री **SUBHASH CHANDRA KABRA** जाति **MAHAJAN** निवासी **D-51 SUBHASH MARG , C-SCHEME JAIPUR RAJ.**

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	मोहनपुरा, सांगानेर (जयपुर)	MANJU KABRA W/O SUBHASH CHANDRA KABRA	399/2	1000	0.1
<b>कुल</b>					<b>0.1</b>

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **29-09-2023** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-08  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



Digitally Signed by Vijendra Kumar  
Meena  
Designation : DC/ AO  
Date: 2023.09.29 19:14:32 IST  
Reason: Approved  
Location: Rajasthan, IN



उपायुक्त जॉन-8  
जयपुर, जयपुर

प्रतिनिधि :- जन संपर्क अधिकारी, जयपुर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राष्ट्रीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सांख्यिक सूचना का प्रकाशन जयपुर के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करवावे। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जॉन-8  
जयपुर, जयपुर

यह विज्ञापन आज दिनांक 3/10/22 को जारी की गई।

इसने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। स्पष्टित रहे। निम्न हस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त कालावधि में आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं। दिनांक 15 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त सू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इस सूचना के दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की 158 स्थित है।

उक्त सूचना के साइट प्लान अनुसार उत्तर दिशा की ओर और सूचना 150, दक्षिण दिशा की ओर और सूचना 152, पूर्व दिशा की ओर 80 फीट रोड एवं पश्चिम दिशा की ओर और सूचना 158 स्थित है।

किया जाना प्रस्तावित है। सू-उपयोग परिवर्तन आवासीय से मास्टर प्लान/जोनल प्लान में दर्शित मिश्रित सू-उपयोग प्रयोजनार्थ क्षेत्र सू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के बिंदु संख्या-2 के उपबिंदु संख्या-4 के क्रम में सू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 राजस्थान नगरीय जारी किया गया था। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र श्री आनिल कुमार बंसल पुत्र श्री निरंजन लाल बंसल एवं श्रीमती सीमा बंसल पत्नी श्री राजेश बंसल को का आवासीय लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जॉन के पत्र क्रमांक जी-1531 दिनांक 23.02.2022 के द्वारा निजी खातेदारी की आवासीय योजना केसर नगर के सूचना 151 क्षेत्रफल 233.33 वर्ग मी

प्रस्तावित सू-उपयोग परिवर्तन

दिनांक:- 3/10/22

क्रमांक:जयपुर/उपा. जॉन-8/2023/जी-3142



www.jdarajasthan.gov.in  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर





# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./ जोन-4/2023/डी-1962

दिनांक 03/10/2023

## विज्ञप्ति/ सूचना

आवेदकगण द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड का फ्रीहोल्ड पट्टा जारी करने हेतु ऑफलाईन आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितकारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदकगण के पक्ष में फ्रीहोल्ड पट्टा जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	समिति एवं योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	X-8	स्कीम नं. 16 दौलत विहार	श्री रामशरण सैनी पुत्र स्व. श्री भौरी लाल सैनी	श्री रामशरण सैनी पुत्र श्री भौरी लाल सैनी	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद समिति द्वारा प्रस्तुत सदस्यता सूची में सार्वजनिक धर्मशाला खण्ड अंकित होने के आधार पर।

उपायुक्त जोन-4  
ज.वि.प्रा. जयपुर  
जयपुर


प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क, अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करवाते हुये प्रकाशन की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।

उपायुक्त जोन-4  
जयपुर  
जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा/उपा./जोन-4/2023/डी-1922

दिनांक 30.3.2022

## विज्ञप्ति

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	3	दुर्गा विहार	श्री सुरेन्द्र खिप्पल पुत्र श्री त्रिलोचन खिप्पल	श्री टी. सी. खिप्पल पुत्र श्री आर.सी. खिप्पल	लीजडीड दि. 14.03.2002 हकत्याग पत्र दि. 23.03.2008 मूल लीजधारक का मृत्यु का प्रमाण पत्र दिनांक 02.03.2008 बिजली बिल, वारीसान नाम आदि।

उपायुक्त जोन-4  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक: 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-4  
जविप्रा, जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा/उपा./जोन-4/2023/डी-1960

दिनांक 5.10.2023

## विज्ञप्ति

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	40	सरस्वती नगर-एफ	श्रीमती धापू देवी पत्नी श्री महादेव मीणा	श्री अजय कुमार शर्मा पुत्र श्री बी.पी. शर्मा	आवंटन दि. 14.08.1981 अपजीकृत इकरारनामा दि. 19.10.2006 रसीदें आदि।

उपायुक्त जोन-4  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक: 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-4  
जविप्रा, जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## आम सूचना

प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत जोन-12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	मेधा शर्मा पुत्री श्री विजय शर्मा	श्रीमती आशा पत्नि मुकेश	82	111.11 व.ग.	अम्बेश्वर गृ. नि.स.स.	प्रकाश एनक्लेव	लीजडीड	सूची में नाम दर्ज करने हेतु
2.	विजय कुमार शर्मा पुत्र राजाराम शर्मा	श्रीमती आशा पत्नि मुकेश	80	141.00 व.ग.	अम्बेश्वर गृ. नि.स.स.	प्रकाश एनक्लेव	लीजडीड	सूची में नाम दर्ज करने हेतु

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर लीजडीड/नाम हस्तान्तरण पत्र जारी करने में किररी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

सपायुक्तजोन-12-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक :जविप्रा/जोन-12/2023/डी-4072

दिनांक 3.8.23

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

दुर्गाधर - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटें. 8340 : फैक्स-+91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी-1073

दिनांक 12.09.23

जनसम्पर्क अधिकारी  
जविप्रा, जयपुर।

विषय :-90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना सलग्न प्रारूप अनुसार 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

जयपुर जोन-12  
उपायुक्त जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर

**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**  
**इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर**  
**प्रारूप 13**

**[नियम 13(2) देखिए]**

**राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत**

संख्या.....

दिनांक .....

**सूचना**

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरानामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण देवदानी गृह निर्माण सहकारी समिति की आवासीय योजना रामाश्रय वाटिका विस्तार के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।


उक्त कारण से आपका एवं आपके परचातवर्ती हस्तान्तरियों का कृष्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 संपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुनर्ग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 संपठित धारा 90ए(5) एवं संपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (बीघा-बिस्वा)	वर्तमान स्वमितीव हिस्सा अनुसार
ग्राम हाथोद तहसील कालवाड	37	0.18	1. ग्यारसीलाल पुत्र काना हिस्सा- 1/18 जाति- बलाई सा. देह खातेदार
	38	3.14	2. गोपाल पुत्र कानाराम हिस्सा- 1/99 जाति- बलाई सा. देह खातेदार
	39	0.03	3. नन्छू पुत्र काना हिस्सा- 1/18 जाति- बलाई सा. देह खातेदार
	40	0.04	3. नवल पुत्र काना हिस्सा- 1/18 जाति- बलाई सा. देह खातेदार
	41	4.08	4. बल्लू पुत्र मेवाराम हिस्सा- 1/99 जाति- बलाई सा. देह खातेदार
	42	8.01	5. भगोतीदेवी पत्नि बसंतलाल मेघवाल हिस्सा- 3/22 जाति- बलाई सा. देह खातेदार
	43	1.06	6. भेंवर पुत्र काना हिस्सा- 1/18 जाति- बलाई सा. देह खातेदार
			7. रामनारायण पुत्र काना हिस्सा- 1/18 जाति- बलाई सा. देह खातेदार
			8. रामेश्वर पुत्र काना हिस्सा- 1/13 जाति- बलाई सा. देह खातेदार
			9. रामस्वरूप पुत्र कानाराम हिस्सा- 1/99 जाति- बलाई सा. देह खातेदार
	39	0.03	1. ग्यारसीलाल पुत्र काना हिस्सा- 1/18 जाति- बलाई सा. देह खातेदार
	40	0.04	2. गोपाल पुत्र कानाराम हिस्सा- 1/99 जाति- बलाई सा. देह खातेदार
			3. नन्छू पुत्र काना हिस्सा- 1/18 जाति- बलाई सा. देह खातेदार
			4. नवल पुत्र काना हिस्सा- 1/18 जाति- बलाई सा. देह खातेदार
		5. बल्लू पुत्र मेवाराम हिस्सा- 1/99 जाति- बलाई सा. देह खातेदार	
		6. भगोतीदेवी पत्नि बसंतलाल मेघवाल हिस्सा- 3/22 जाति- बलाई सा. देह खातेदार	
		7. भेंवर पुत्र काना हिस्सा- 1/18 जाति- बलाई सा. देह खातेदार	
		8. रामनारायण पुत्र काना हिस्सा- 1/18 जाति- बलाई सा. देह खातेदार	
		9. रामेश्वर पुत्र काना हिस्सा- 1/13 जाति- बलाई सा. देह खातेदार	
		9. रामस्वरूप पुत्र कानाराम हिस्सा- 1/99 जाति- बलाई सा. देह खातेदार	

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/ अभियान/2021/म.म.जा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो गय.साक्ष के विज्ञापित प्रकाशन के 7 दिवस में कमरा न. 308, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा एवम् नियमानुसार मानचित्र अनुमोदन की कार्यवाही संपादित की जायेगी।

नोटिस आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

  
 प्राधिकृत अधिकारी एवं उपस्थित  
 जयपुर नगरपालिका प्राधिकरण  
 जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-13  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102953 ) 5) - 2795

दिनांक: 04/10/2023

लोक सूचना

श्री PRAHLAD MEENA पुत्र श्री SHRWAN LAL MEENA जाति MEENA निवासी LAL SOTHYA KI DHANI  
RAJWAS SHERSINGH, RAJWAS, DAUSA, 303004

श्री RAMJILAL MEENA पुत्र श्री MANGAL CHAND MEENA जाति MEENA निवासी KESHAV  
VIDHYAPEETH, SATIYON DHANI, JAMDOLI, JAIPUR 302031

श्री DEVI LAL MEENA पुत्र श्री RAM LAXMAN MEENA जाति MEENA निवासी FATEH TIBA,  
AANANDPURI, ADARSH NAGAR, JAIPUR 302004

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का रिसोर्ट इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने  
अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	कूकस, आमेर (जयपुर)	RAMJILAL S/O MANGAL CHAND MEENA, JAMDOLI, JAIPUR	397	3200	0.32
2.	कूकस, आमेर (जयपुर)	RAMJILAL S/O MANGAL CHAND MEENA, JAMDOLI, JAIPUR	398	2700	0.27
3.	कूकस, आमेर (जयपुर)	RAMJILAL S/O MANGAL CHAND MEENA, JAMDOLI, JAIPUR	399/1	1200	0.12
4.	कूकस, आमेर (जयपुर)	RAMJILAL S/O MANGAL CHAND MEENA, JAMDOLI, JAIPUR	410/1	1900	0.19
5.	कूकस, आमेर (जयपुर)	RAMJILAL S/O MANGAL CHAND MEENA, JAMDOLI, JAIPUR	411/1	1100	0.11
6.	कूकस, आमेर (जयपुर)	RAMJILAL S/O MANGAL CHAND MEENA, JAMDOLI, JAIPUR	438	2800	0.28
7.	कूकस, आमेर (जयपुर)	RAMJILAL S/O MANGAL CHAND MEENA, JAMDOLI, JAIPUR	439	2400	0.24

उपायुक्त एवं प्राधिकरण अधिकारी  
जोन-13  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर




8.	कूकस, आमेर (जयपुर)	RAMJILAL S/O MANGAL CHAND MEENA, JAMDOLI, JAIPUR	440	2200	0.22
9.	कूकस, आमेर (जयपुर)	RAMJILAL S/O MANGAL CHAND MEENA, JAMDOLI, JAIPUR	437	2100	0.21
10.	कूकस, आमेर (जयपुर)	DEVILAL S/O RAM LAXMAN, AANDPURI, ADRESH NAGAR, JAIPUR	412	2300	0.23
11.	कूकस, आमेर (जयपुर)	DEVILAL S/O RAM LAXMAN, AANDPURI, ADRESH NAGAR, JAIPUR	413	2700	0.27
12.	कूकस, आमेर (जयपुर)	DEVILAL S/O RAM LAXMAN, AANDPURI, ADRESH NAGAR, JAIPUR	414	1900	0.19
13.	कूकस, आमेर (जयपुर)	DEVILAL S/O RAM LAXMAN, AANDPURI, ADRESH NAGAR, JAIPUR	436	1800	0.18
14.	कूकस, आमेर (जयपुर)	PRAHLAD MEENA S/O SHARVAN, LAL MEENA, RAJWAS, DAUSA	410	1400	0.14
15.	कूकस, आमेर (जयपुर)	PRAHLAD MEENA S/O SHARWAN LAL MEENA, RAJWAS, DAUSA	411	300	0.03
16.	कूकस, आमेर (जयपुर)	PRAHLAD MEENA S/O SHARWAN LAL MEENA, RAJWAS, DAUSA	435/2474	100	0.01
<b>कुल</b>					<b>3.01</b>

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 04-10-2023 को जारी की गयी।

  
 उपायुक्त एवं प्राधिकरण अधिकारी  
 प्राधिकृत अधिकारी, जयपुर  
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102975

दिनांक: 04/10/2023

लोक सूचना

श्री वगताराम पुत्र श्री मोडा राम जाति पालीवाल निवासी वार्ड नं. 18, गायत्री चौक बालोतरा ग्रामीण बाडमेर जरिये मुख्त्यारआम तलित पालीवाल पुत्र श्री वगता राम पालीवाल वार्ड नं. 18, गायत्री चौक, बालोतरा ग्रामीण बाडमेर

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	श्री वगताराम पुत्र श्री मोडा राम जाति पालीवाल निवासी वार्ड नं. 18, गायत्री चौक बालोतरा ग्रामीण बाडमेर	1167/259	438	रकबा 0.16 हेक्टे में से रकबा 0.0438
			1171/261	15	रकबा 0.02 हेक्टे में से रकबा 0.0015
कुल					0.0453

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 195E की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों का अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपरोक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जाएगा।

यह सूचना भरतसिंह और मुल्ल के अधीन आज दिनांक 04-10-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कमांक: LU2012/JDA/2023-24/102976

दिनांक: 04/10/2023

लोक सूचना

श्री वगताराम पुत्र श्री मोडा राम जाति पालीवाल निवासी वार्ड नं. 18, गायत्री चौक बालोतरा ग्रामीण वाडमेर जरिये मुख्त्यारआम ललित पालीवाल पुत्र श्री वगता राम पालीवाल वार्ड नं. 18, गायत्री चौक, बालोतरा ग्रामीण वाडमेर

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	श्री वगताराम पुत्र श्री मोडा राम जाति पालीवाल निवासी वार्ड नं. 18, गायत्री चौक बालोतरा ग्रामीण वाडमेर	1167 / 259	268	रकबा 0.16 हैक्ट में से रकबा 0.0268
			1171 / 261	185	रकबा 0.02 हैक्ट में से रकबा 0.0185
कुल					0.0453

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ, आईडी से लॉन इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 04-10-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102974

दिनांक: 04/10/2023

लोक सूचना

श्री वगताराम पुत्र श्री मोडा राम जाति पालीवाल निवासी वार्ड नं. 18, गायत्री चौक बालोतरा ग्रामीण बाडमेर जरिये मुख्याराम ललित पालीवाल पुत्र श्री वगता राम पालीवाल वार्ड नं. 18, गायत्री चौक, बालोतरा ग्रामीण बाडमेर

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	श्री वगताराम पुत्र श्री मोडा राम जाति पालीवाल निवासी वार्ड नं. 18, गायत्री चौक बालोतरा ग्रामीण बाडमेर	1166/259	453	रकबा 0.15 हैक्ट में से रकबा 0.0453
कुल					0.0453

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 04-10-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102973

दिनांक: 04/10/2023

लोक सूचना

श्री वगताराम पुत्र श्री मोडा राम जाति पालीवाल निवासी वार्ड नं. 18, गायत्री चौक बालोतरा ग्रामीण बाडमेर जरिये मुख्याराम ललित पालीवाल पुत्र श्री वगता राम पालीवाल वार्ड नं. 18, गायत्री चौक, बालोतरा ग्रामीण बाडमेर

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	श्री वगताराम पुत्र श्री मोडा राम जाति पालीवाल निवासी वार्ड नं. 18, गायत्री चौक बालोतरा ग्रामीण बाडमेर	1166/259	466	रकबा 0.15 हैक्टे में से रकबा 0.0466
			1178/258	21	रकबा 0.11 हैक्टे में से रकबा 0.0021
कुल					0.0487

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम-समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामला का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 04-10-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

कार्यक्रम- जविप्रा/घपा./जोन-13/2023/बी-2798

दिनांक- 4/8/23

सार्वजनिक सूचना

निम्न सूखण्ड जारी करने के प्रस्तुत कर सूखण्ड का प्रकाश/नामहरसांतरण हेतु आवेदन किया गया है

क्र. सं.	सूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी) में	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम	नामहरसांतरण/लीजडीड / फी होल्ड लीजडीड/अन्य
1	5-51	120.00 वर्गमीटर	श्री पुस्तकालय अग्रणी श्री मणोज अग्रवाल	जविप्रा	पीताम्बर आयातीय योजना	मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्टर्ड परीक्षणार्थ के आधार पर नामहरसांतरण/लीजडीड जारी करने बाबत।
2	5-52	180.00 वर्गमीटर	श्रीमती अशु खण्डेलवाल रम श्री प्रदीप कुमार खण्डेलवाल	जविप्रा	कल्याणा नगर आयातीय योजना	मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्टर्ड हकरवाग पत्र के आधार पर नामहरसांतरण/लीजडीड जारी करने बाबत।

उक्त सूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किराी व्यक्ति, धरिस एवं रांस्था को आपत्ति हो तो मय रांस्थ के द्वारा सूचना का प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय रामय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त सूखण्ड की लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

*[Signature]*  
6/8/23  
उपायुक्त, जोन-13  
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि-

- जनसम्पर्क अधिकारी जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

*[Signature]*  
उपायुक्त, जोन-13  
जविप्रा, जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-2475

दिनांक 05-10-23

## सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज/आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है:-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	नाम/पता	समिति का नाम/निजी खातेदारी/जविप्रा	योजना का नाम	विवरण
1.	6	श्री रोहित अग्रवाल पुत्र श्री महेश अग्रवाल	निजी खातेदारी	गोवर्धन विहार एच-ब्लॉक	लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा हेतु
2.	3	श्री रोहित अग्रवाल पुत्र श्री महेश अग्रवाल	निजी खातेदारी	गोवर्धन विहार एच-ब्लॉक	लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा हेतु
3.	4	श्री रोहित अग्रवाल पुत्र श्री महेश अग्रवाल	निजी खातेदारी	गोवर्धन विहार एच-ब्लॉक	लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा हेतु
4.	5	श्री रोहित अग्रवाल पुत्र श्री महेश अग्रवाल	निजी खातेदारी	गोवर्धन विहार एच-ब्लॉक	लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा हेतु
5.	2	श्री रोहित अग्रवाल पुत्र श्री महेश अग्रवाल	निजी खातेदारी	गोवर्धन विहार एच-ब्लॉक	लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा हेतु
6.	1	श्री रोहित अग्रवाल पुत्र श्री महेश अग्रवाल	निजी खातेदारी	गोवर्धन विहार एच-ब्लॉक	लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा हेतु
7.	03	श्री नवीन अडवानी पुत्र स्व. श्री ईश्वर अडवानी	रामराजपुरा गृ.नि. स.स.लि.	गोविन्द विहार	फ्री होल्ड पट्टा हेतु
8.	107	श्रीमती विनिता खण्डेलवाल पत्नी श्री अनूज खण्डेलवाल	रामराजपुरा गृ.नि. स.स.लि.	गोविन्द विहार	फ्री होल्ड पट्टा हेतु
9.	डी-137-बी	श्री सुमन्त छाबडा पुत्र स्व. श्री केशवानन्द छाबडा	श्री गणपति गृ.नि. स.स.लि.	गणेश विहार विस्तार	फ्री होल्ड पट्टा हेतु
10.	200	श्री राकेश बैरवा पुत्र श्री किशन लाल	बाबा आर.एन.गौड गृ.नि.स.स.लि.	न्यू चन्दलाई नगर	फ्री होल्ड पट्टा हेतु
11.	200-201	श्री जितेन्द्र कुमार बैरवा पुत्र श्री पुत्र श्री किशन लाल	बाबा आर.एन.गौड गृ.नि.स.स.लि.	न्यू चन्दलाई नगर	फ्री होल्ड पट्टा हेतु
12.	201	श्री ईश्वर लाल पुत्र श्री किशन लाल	बाबा आर.एन.गौड गृ.नि.स.स.लि.	न्यू चन्दलाई नगर	फ्री होल्ड पट्टा हेतु
13.	ए-169	श्रीमती रविना बाई मीना पत्नी श्री महेन्द्र मीना	निजी खातेदारी	हनुमान वाटिका ए-1	नाम हस्तान्तरण हेतु
14.	67ए	श्री प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र श्री रामनारायण शर्मा	हसनपुरा ए गृ.नि. स.स.लि.	श्री कल्याण नगर	नामहस्तान्तरण हेतु।
15.	61	श्री रामराज प्रजापति पुत्र श्री शान्ताराम प्रजापति	बदनपुरा (फकीरी की डूंगरी) गृ.नि.स. स.लि.	अवनी प्राईम	फ्रीहोल्ड लीजडीड हेतु।
16.	3	श्रीमती कोशलया मीणा पत्नी श्री रामस्वरूप मीणा	बाबा आर.एन.गौड गृ.नि.स.स.लि.	शिवाजी छत्रपति कैम्पस	अपंजीकृत इकरारनामा के
17.	106	श्रीमती कोशलया मीणा पत्नी श्री रामस्वरूप मीणा	बाबा आर.एन.गौड गृ.नि.स.स.लि.	शिवाजी छत्रपति कैम्पस	आधार पर फ्रीहोल्ड लीजडीड हेतु


राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:

dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in


18.	107	श्रीमती कोशल्या मीणा पत्नी श्री रामस्वरूप मीणा	बाबा आर.एन.गौड गृ.नि.स.स.लि.	शिवाजी छत्रपति कैम्पस	
19.	204	श्रीमती कोशल्या मीणा पत्नी श्री रामस्वरूप मीणा	बाबा आर.एन.गौड गृ.नि.स.स.लि.	शिवाजी छत्रपति कैम्पस	
20.	2	श्रीमती कोशल्या मीणा पत्नी श्री रामस्वरूप मीणा	बाबा आर.एन.गौड गृ.नि.स.स.लि.	शिवाजी छत्रपति कैम्पस	
21.	203	श्रीमती कोशल्या मीणा पत्नी श्री रामस्वरूप मीणा	बाबा आर.एन.गौड गृ.नि.स.स.लि.	शिवाजी छत्रपति कैम्पस	
22.	23	श्री रामप्रसाद मीणा पुत्र श्री सवताराम मीणा	बाबा आर.एन.गौड गृ.नि.स.स.लि.	शिवाजी छत्रपति कैम्पस	
23	37A	श्रीमती मीना खत्री पत्नी श्री मूल चन्द खत्री	बाबा आर.एन.गौड गृ.नि.स.स.लि.	शिवाजी छत्रपति कैम्पस	
24	124	सुश्री प्रिया शर्मा, पुत्री श्री सुर्य प्रकाश शर्मा	बाबा आर.एन.गौड गृ.नि.स.स.लि.	शिवाजी छत्रपति कैम्पस	
25	212	श्रीमती रमेशी देवी पत्नी श्री कालूराम मीणा	रामराजपुरा गृ.नि. स.स.लि.	गोविन्द विहार-ए	लीजडीड हेतु

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

  
 उपायुक्त जून-14  
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
 जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

  
 उपायुक्त जून-14  
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।